COURT FEE 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C-880152

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक /2009

R-418-PBR/09

1. रामगोपाल पुत्र श्री रामचरण राय,
2. बाबूलाल पुत्र श्री रामचरण राय,
3. रामसेवक पुत्र श्री रामचरण राय,
4. महिला प्रेम पुत्री श्री रामचरण राय,
5. महिला त्रिवेणी पुत्री श्री रामचरण राय,
6. महिला देवयंती वेवा रामकिशन राय,
7. महिला रामलली पुत्री रामकिशन राय,
8. महिला मुन्नी पुत्री रामकिशन राय,
9. कैलाश पुत्र रामकिशन राय,

समस्त निवासीगण–ग्राम सहरिया, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—— आवेदकगण

बनाम

1. नरेश पुत्र मेवालाल राय
2. राजीव पुत्र मेवालाल राय
3. श्रीमती कमला वेवा स्व. कृपाराम राय,
4. मेवालाल पुत्र कृपाराम राय,
5. वीर सिंह पुत्र कृपाराम राय,
6. शिव कुमार पुत्र कृपाराम राय,
7. श्रीमती रामसखी पुत्री कृपाराम राय,
8. भगवत पुत्र कृपाराम राय

समस्त निवासीगण–ग्राम सहरिया, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——अनावेदकगण

13.4.09
K.K. Dwivedi

**न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2008–09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12/01/09 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

**माननीय महोदय,**

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है :–

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**

1– यह कि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा नायब तसीलदार करैरा के समक्ष संहिता की धारा 178 के अधीन विभाजन हेतु आवेदन किया गया। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदकगण संयुक्त खातेदारान को विधिवत् सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्दो पर आवेदकगण के हस्ताक्षर लिये बिना तथा फर्दो का विधिवत् प्रकाशन किये बिना दिनांक 19/11/2001 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही संहिता की धारा 178 एवं विभाजन नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन न किया जाना आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना न दिया जाना उनकों सुनवाई का अवसर न दिया जाना तथा फर्द बंटवारा पर आवेदकगण की सहमति न लेना तथा फर्द बंटवारें पर आवेदकगण के हस्ताक्षर न होना पाते हुए आदेश दिनांक 28/07/07 द्वारा अपनी मान्य कर, प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तीत किया गया कि, धारा 178 भू–राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार बंटवारा किया जावे।

2. यह कि, इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त महोदय के समक्ष द्वितीय अपील की गयी, तर्को के समय आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपील ग्राहय न होने के विषय में एवं तर्को के समय अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित नही किया जा सकता कि, आपत्ति

XXXIX(a)-BR(H)-11 R/418/PBR/09/शिवपुरी

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक........ रामगोपाल व अन्य आवेदकगण विरुद्ध जिला........

नरेश व अन्य अनावेदकगण

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25/4/19 | (1) आवेदक अभि. श्री R.D. Sharma एवं अनावेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित।<br>(2) उभयपक्ष अभिभाषकों के द्वारा अनुरोध किया है कि दिनांक 25/4/19 (आज ही) समझौता आवेदन पेश किया है अतः वह अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहते है।<br>(3) उभयपक्ष अभिभाषकों का अनुरोध स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी ~~स~~ स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br>[signature]<br>25/4/19 | [signature] 25-4-19<br>[signature] |